अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जसनूर कौर आदि **बनाम** बसन्त सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 65 सन 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/255

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल हुकम

10.10.2024

नम्बर व तारीख अहकाम जी इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा दौरानें बहस अर्ज किया कि चक 3 यू की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 10/11 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 2.023 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 106/103 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 27/29 के मुरब्बा नम्बर 61 की कुल 1.897 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 2 हरचरण सिंह पुत्र किशन के नाम दर्ज कुल 1.847 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को जरिए वसीयत, उपहार पत्र प्राप्त होने के कारण स्वअर्जित सम्पति की परिभाषा में आती है। जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। प्राथीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त भूमि जरिए दानपत्र, वसीयत से प्राप्त हुई है। अप्रार्थी हरचरण सिंह वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। अतः अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम विधिसंगत नही समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर